शोध-मंथन Vol. VII No. 2, 2016 ISSN No. (P) 0976-5255, (e) 2454-339X
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
3.8942

कामकाजी महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता एवं राजनीतिक सहभागिता

डॉ0 वी0पी0 राकेश*
राजनीति विज्ञान विभाग
एन0 ए0 एस0 कॉलिज, मेरठ
&
डॉ0 विनीता गुप्ता
राजनीति विज्ञान विभाग
कनोहर लाल स्नातकोत्तर, महिला महाविद्यालय
मेरठ

देश आजाद होने के बाद हमारे सामाजिक और आर्थिक स्तर में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण दौर लगभग पूरा हो चुका है। औसतन प्रत्येक परिवार इस परिवर्तन से प्रभावित हुआ है। कहीं आर्थिक आधार पर संयुक्त परिवार टूटे हैं तो कहीं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए दृश्य बदलते हैं जो गृहिणियॉ घर में घर की लक्ष्मी बनकर बैठी रह जाती थी, वे अब कामकाज की तलाश में घर से मीलो दूर निकल गई है। देश की तरक्की में महिलाओं की भूमिका अब पुरूषों से कम नहीं। जितने हाथो को काम मिला है, उतनी ही प्रगति की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन पुरूषों की अपेक्षा कामकाजी महिलाओं के दायित्व पहले से बहुत बढ़ गए हैं। घर कि दुनिया आज भी महिलाओं के बिना शून्य है। मातृत्व की जिम्मेदारी अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। अपनी शिक्षा, नौकरी, विवाह और फिर मातृत्व प्राप्ति के बाद माता को बच्चे के सुन्दर भविष्य की तैयारी करनी पड़ती है। यदि कामकाजी महिलाऍ बच्चों के अभ्युदय के लिए हर पल सजग हो, तो बच्चों के साथ–साथ स्वयं उनके विकास का भी नया रास्ता खुलता है।[1]

कामकाजी महिलाओं की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने बच्चों से अलग ऐसी जगह व्यतीत होता है, जहॉ भिन्न–2 विचारधारा और भिन्न–2 स्त्री पुरूष मिलते है। वहॉ सबके साथ प्रेम और सद्भावपूर्ण वातवारण के साथ सामजंस्य बनाए रखना जरूरी हो जाता है। बाहर की दुवर्भावनायें जाने अनजाने घर में घुस आती हैं और शांति के एक बसेरे को आक्रांत कर देती हैं। खिलते हुये फूल की तरह बच्चे माता–पिता से गलत उदाहरण भी सीख लेते हैं, और ये आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का स्थाई तत्व बन जाते हैं।[2]

यह निश्चय ही एक कटु सत्य है कि बदलते हुए परिवेश के साथ पुरूषों में मानसिकता, सार्थक, बदलाव की जगह अहं आया है। घर के काम काज में पुरूष की भागीदारी बराबर होनी चाहिये, जो नहीं हैं। इसका परिणाम यह है कि गृहिणी को व्यस्त दिनचर्या से रोज गुजरना पड़ता हैं। घर के कामों के अतिरिक्त पति और बच्चों की निजी देखरेज भी उसे ही करनी पड़ती है और नौकरी के तनाव भी उसे अकेले ही झेलने पड़ते है। इन सब बातों का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। माता–पिता दोनों में रोष आवेग, दुर्बलता और

आत्मसंयम का अभाव घर कर जाता है। इन सब कारणों से बच्चें के मन में माता–पिता के प्रति आदर का भाव घटता है।[2]

कामकाजी महिलाओं के पास बच्चों के लिए पर्याप्त समय होना चाहिये। बच्चों की चीजों के प्रति चाहे वे कॉपी किताब हो, कपड़े हो, खिलौने हो या खाने पीने की वस्तुएँ हो, अपनी सम्पूर्ण रूचि प्रदर्शित करनी चाहिये। वे बच्चे अपने जीवन के प्रति आश्वस्त होते हैं, जिनके माता–पिता उनकी अभिरूचियों का ध्यान रखते हैं। कभी–कभी बच्चों के साथ घुमना, सैर सपाटे करना बहुत अच्छा होता है। उनकी बाते सुनना और उनको चाव के हिस्से कहानी सुनाना भी लाभ प्रद होता है। रात में सोने से पहले जो मॉ अपने बच्चे को लोक गीत या लोक कथा सुनाती है, वह सचमुच बच्चों के लिये कलात्मक, जगत का एक नया द्वारा खोल देती है।[3]

कामकाजी महिलाओं के जीवन की सफलता को मापने के तीन ही बिन्दु हैं। पहला–उनकी गृहस्थी कितनी व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलती है, दूसरा वे अपने नौकरी के प्रति कितनी समर्पित हैं, तीसरी–अपने बच्चों के जीवन के प्रति कितनी सजग है। ये तीनों ही बिन्दू एक–दूसरे की पूर्ति करने वाले हैं। सुव्यवस्थित होते हैं बल्कि वे सम्पूर्ण घर की अभिव्यक्ति होते हैं। माता–पिता को आंतरिक और बाह्य रूचियॉ बच्चों के द्वारा ही ठीक–ठीक व्यक्त होती हैं।

कामकाजी महिलाओं को स्वाभाविक रूप से दोहरे संसार में जीना पड़ता है। जिस कामकाज में से लोग लगी होती हैं, उसी के आधार पर उनका दृष्टिकोण विकसित होता है इससे ठीक है कि बच्चे विपरीत किसी निश्चित दृष्टिकोण को लेकर चलने की अपेक्षा सब ओर खुलना चाहते है इसीलिये कभी–कभी माता पिता और बच्चें में किसी विषय में मतभेद होता है। मतभेद के अवसरों पर कोई निर्णय करते समय माता–पिता को अपनी धारणा से चिपके नहीं रहना चाहिये, बल्कि परस्पर दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिये, जो बच्चों को संतुष्ट करने वाला हो।[4]

कामकाजी महिलाओं के ऊपर कामकाज का दबाव रहता है। जब वे काम से घर लौटती हैं, तब भी वे दबाव से मुक्त नहीं होती। इस दबाव की परिणति से कभी–कभी बच्चों के ऊपर डॉट–फटकार के रूप में होती है। बच्चों की समझ बहुत पैनी होती है। वे बहुत जल्दी दुबर्लता का पता लगा लेते है। यदि मॉ की दुर्बलता बच्चों पर बार–बार व्यक्त होती है तो बच्चे प्रतिक्रिया विहीन और लगभग कुठित हो जाते हैं।

बच्चे अपनी मॉ से एक ही चीज के अपेक्षा करते है और वह है निर्मल प्रेम। इस पर उनका नैसर्गिक अधिकार है। बच्चे माता–पिता से प्रेम करते हैं, उनके काम काज से नहीं, किन्तु यह सत्य है कि वे माता–पिता के दैनिक क्रियाकलापों के प्रति सचेत होते है। भले ही बच्चे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करे, परन्तु माता–पिता के अच्छे बुरे कार्यो की अमिट छाप उनके जीवन पर पड़ती ही हैं।

जिन महिलाओं का जीवन सरल और सादगीपूर्ण होता है। वे सदा प्रसन्न रहती हैं और अपने कामकाज का बोझ लेकर घर नहीं लौटती है, उनके बच्चे भी सरल, सादगीपूर्ण, प्रसन्न और खिले हुये होते हैं। कामकाजी महिलाओं का यह दायित्व है कि वे अपने बच्चों को भरपूर प्यार दे, उनकी शिक्षा के प्रति सजग और उनके व्यवहार के प्रति सहनशील हो उनके सामने प्रेरक प्रसंग रखे, तभी बच्चों का जीवन सुंदर होगा और बच्चों के मन में माता–पिता के प्रति सम्मान बढ़ेा।[5]

कामकाजी महिलाओं के अधिकार

वर्तमान समय में महिलाओं के शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। लडकियॉ आज शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में आगे आ रही है। शिक्षा के द्वारा स्त्री वर्तमान समय में बच्चों के लालन पालन, उनकी पढ़ाई–लिखाई पति एवं परिवार की देखभाल के साथ–साथ आर्थिक रूप से भी स्वतन्त्र होती जा रही है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न होता जा रहा है। साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ होती जा रही है।

अधिकांश महिलाएँ अपने कार्य के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठ एवं अनुशासनबद्ध होती है। वे अपने कार्य को निपुणता के साथ पूरा करती है कामकाजी महिलाओं का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है एवं उनका सामाजिक विकास एवं समाज में प्रतिष्ठा भी बढती है। नौकरी करने वाली महिलाएँ पैसे का प्रयोग ज्यादा अच्छी तरह से समझती है और उसको विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करना भी जानती हैं। विक्टर ह्यगो ने कहा है कि ''मनुष्य में दृष्टि होती है और नारी में दिव्य दृष्टि।'' महिलाएँ आज आत्म निर्भर होकर परिवार के साथ ही समाज के विकास में भी सहयोग प्रदान कर रही है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ गॉवों में महिलाओं को घर के सारे कामकाज करने के साथ–साथ पुरूषों के साथ खेतों में निराई–गुडाई से लेकर कटाई तक का काम करती हैं। पशुओं को दाना पानी देना, दूध दुहना, जंगल से लकड़िया लेकर आना उनके अनेक काम स्त्रियॉ करती है। परन्तु घर में काम करने वाली स्त्रियों के प्रति उपेक्षा का भाव रहा है। उने समर्पण को, मेहनत को काम के रूप में नहीं देखते है। जो महिलाएँ घर से बाहर निकलकर नौकरी करती हैं या अपना व्यवसाय करती हैं, उनको ही कामकाजी महिलाओं के वर्ग में रखा जाता है। आज नारी घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है बल्कि एक साथ दो कर्त्तव्य निभा रही है। अपने परिवार के प्रति और दूसरा समाज के प्रति। आज वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पर्दापण कर परिवार, समाज एवं देश सेवा में तत्पर हैं। भारत सरकार ने कामकाजी महिलाओं की सहायता हेतु समय–सयम पर नियम एवं कानून बनाये हैं जिसका नाम समान पारिक्षमिक अधिनियम 1976 बनाया,[6] जिसके अनुसार –

- एक ही तरह के काम के लिये स्त्री और पुरूष को एक जैसा वेतन मिले।
- जिस काम पर पुरूषों की भर्ती की जाए उस काम पर स्त्रियों को भर्ती होने का भी हक है, मगर वे उस काम के काबिल हो।
- यह वेतन और तनख्वाह कम से कम उतनी होनी चाहिये जितनी सरकार ने तय की हो यानि, न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिये।
- महिलाओं को गर्भावस्थाव प्रसूति से संबधित कुछ खास अधिकार दिये गये है। यह 'प्रसुति सुविधा अधिनियम' कहलाता है। इसके अन्तर्गत निम्न सुविधाएँ आती है।
    - प्रसूति से पहले पूरे वेतन पर 6 हफ्ते की छुट्टी।
    - प्रसूति के बाद पूरे वेतन पर 6 हफ्ते की छुट्टी।
    - यदि कोई मालिक प्रसूति के पहले और बाद की आवश्यक डाक्टरी सुविधा नहीं दे सकता, तो उसे 250 रू0 'मेडिकल बोनस' यानि कि डाक्टरी चिकित्सा का खर्च भी देना होगा।
    - गर्भावस्था के आखिरी एक महीने के दौरान स्त्री से कोई ऐसा काम नहीं कराया जाये, जो स्त्री को शारीरिक रूप से थका दे।
    - बच्चे के जन्म हो जाने के बाद 15 महीने तक जब वह काम पर लौटती है, तब बच्चे के दूध पिलाने के लिये उसे दिन में दो बार समय मिलेगा।
    - गर्भावस्था की सुविधाएँ लेने के लिये जरूरी नहीं कि महिला शादी सुदा हो।[7]

1991 की जनगणना कमश्निर कह रिपोर्ट के अनुसार शहरों व गॉवों दोनों में ही घर की चार दीवारी से बाहर आकर काम करने वाली महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1971 की जनगणना के आकड़ों में अनुसार देश की कुल कार्य शक्ति में 13 प्रतिशत श्रमिक थी। यह प्रतिशत 1981 में 25.89 और 1991 में 28.57 प्रतिशत हो गया। लगभग 80 प्रतिशत महिलाएँ कृषि कार्यो में लगी है। केवल 12 प्रतिशत स्त्रियॉ केन्द्रीय व राज्य प्रशासनिक सेवाओं में और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में लगी है। फैक्ट्रियों में रोजगार प्राप्त स्त्रियों की संख्या 5.14 लाख थी, कारखानों में 0.8 लाख, तथा बगानों में 4.18 लाख थी।[8]

भारत में कुल कामकाजी महिलाओं के आत्म–प्रतिबिम्ब अथवा स्वयं के विषय में की गई कल्पनाओं में से प्रत्येक 100 सेवायुक्त महिलाओं में से 52.59 अशिक्षित है, 28.56 प्राइमरी तथा मिडिल स्तर तथा शिक्षित, 13.

78 सेकेण्डरी स्तर तक शिक्षित और 5.07 स्नातक और इससे ऊपर शिक्षित है वही शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 100 सेवा युक्त महिलाओं में से 88.11 अशिक्षित, 10.68 प्राइमरी व मिडिल तक तथा 1.21 मिडिल से ऊपर शिक्षित है।[9]

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला को यदि सफलता का पर्याय कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भारतीय महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरूषों के कांधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में भागीदार बन रही है। अपने बुद्धि कौशल, साहस व जाति के जज्बे से महिलाएँ जहॉ अपने घर परिवार में कुशल गृहणी बनकर वाह वाही पा रही है, वही ये महिलाएँ कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी प्रतिभा के जलवे दिखाकर देश और दुनिया को भी चौका रही है। कहते है कि जिस दफ्तर में महिलाएँ होती है, उस दफ्तर में पुरूषों में ड्रेसअप बातचीत का तरीका खुद–ब–खुद आ जाता है। साथ ही समय की पांबदी व ईमानदारी भी महिलाओं की पहचान होती है, जिससे पुरूषों पर काफी प्रभाव पड़ता है, यही कारण है कि आज भारतीय महिलाएँ बड़े–बड़े पदो पर आसीन है।

यदि हम भारतीय महिलाओं की कॉर्पोरेट सेक्टर में विश्व में स्थिति की बात करे तो आपके समक्ष एक चौका देने वाला सच आएगा। ई0एम0ए0 पार्टनर इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक भारत में करीब 11 फीसदी महिलाएँ बड़ी–बड़ी कम्पनियों में कार्यरत है यह अन्तर कोई मामूली अंतर नहीं है।

हमारे सामने इंदिरा, नूई, चंदा कोचर जैसी कई सफल महिलाओं के उदाहरण है, जो आज कार्पोरेट सेक्टर में महिलाओं की आदर्श बनकर देश की सफल महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। कार्पोरेट ही क्या अब तो राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की दखल 'परिवर्तन की शुभ संकेत शामिल हो रही है फिर चाहे वह मनमोहन को दिशा–निर्देश देने वाली सोनिया गॉधी हो या फिर बीजेपी की चतुर राजनीतिज्ञ सुषमा स्वराज ही क्या न हो, उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाली मायावती हो या फिर अन्नाद्रमुक की जयललिता ही क्यों न हो, आज सभी की अपनी पार्टी में अलग धाक है।

भारतीय महिलाओं की प्रगति कही न कही हमारे उदार दृष्टिकोण व महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना का ही परिणाम है शिक्षा विकास का आधार है। यदि महिला शिक्षित होती है, तो कल को उसके बच्चे भी शिक्षित होंगे और इस तरह हमारा देश भी एक साक्षर देश बनेगा। कल तक शिक्षा सें वंचित गॉवों की बेटियॉ भी आज शिक्षा के लिए रूचि ले रही है। बल्कि वर्तमान में महिलाओं की प्रगति व शिक्षा के भविष्य से देश में दैवीप्यमान सूरज के उदय के साथ महिलायें आगाज लेकर आयेगी। जिससे काम काज को हमारे देश को भी विकसित देश की प्रथम श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा।

भारत में पचायत राज संस्थाओं के माध्यम से दस लाख से अधिक महिलाओं नें सक्रिय रूप से राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के अनुसार सभी निर्वाचित स्थानीय निकाय अपनी सीटों में एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित रखते है, हांलाकि विभिन्न स्तरों की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं का प्रतिशत काफी बढ़ रहा है, इसके बावजूद महिलाओं को अभी भी प्रशासन और निर्णयात्मक पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।[10]

केन्द्र की सत्ता में सबसे प्रभावी भूमिका निभाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं का अनुपात उस हयिाणा से भी कम है, जो लिंगानुपात के मामले में देश का सबसे पिछड़ा राज्य है।

राज्य	महिला मतदाताओं का अनुपात
केरल	51.9 फीसदी
गोवा	50.09 फीसदी

हरियाणा	50.00 फीसदी
उत्तर प्रदेश	45.9 फीसदी
दिल्ली	45.2 फीसदी

ऑकडे यह भी बताते है कि 1971 से 2014 तक पूरे देश में कुल महिला मतदाताओं का अनुपात 47.48 फीसदी के बीच हर रहा है।

जब तक महिलाएँ अपने मताधिकार के प्रति जागरूक नहीं होगी, वे राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए दबाव कैसे बन पायेगी।

नारी सशक्तिकरण की बात भारत में अधिकतर सभी कर रहे है लेकिन किसी भी पार्टी ने पर्याप्त संख्या में महिलाओं को टिकट नहीं दिए। हॉ, नवोदित आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड इस मामले बेहतर है। कानून महिलाओं को निशाना बनाते है, ऐसे में कानून से धर्म निकाल देने पर सबसे बड़ी राहत औरतों को ही मिलेगी। भारत एक धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक देश है। इसलिये यहॉ समान नागरिक संहिता का होना बहुत जरूरी है। लेकिन स्त्रियों के समानधिकार की बात करती। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में मात्र पैतीस महिलाओं को टिक्ट क्यो दिया है, जबकि इसके कुल प्रत्याक्षियों की संख्या चार सौ से अधिक है? कांग्रेस के इरादों पर भी सवाल उठते है। नारी सशक्तिकरण में यकीन करने वालों ने विगत दस वर्षो में कितनी महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है? उसके कुल 417 लोकसभा प्रत्याशियों में महिला उम्मीवार सिर्फ 53 है। आप एक छोटी पार्टी है लेकिन उसके कुल प्रत्याक्षी में 15 प्रतिशत महिलाएँ है।

16 लोकसभा चुनाव 2014 में महिलाओं की स्थिति

निर्वाचन आयोग का आंकड़ा कहता है कि 2009 में जहॉ महिलाओं ने 7 फीसदी राजनीति में टिकट लिये थे वही इस बार 2014 में आंकड़ा 10 फीसदी रहा। बड़ी संख्या में निर्दलीय महिलाएँ भी चुनाव लड़ी है। निर्वाचन आयोग का ऑकडा यह भी कहता है कि इन सभी प्रत्याक्षियों में युवा लडकियॉ अर्थात 20 से 40 वर्ष वाली आयु की आधी से अधिक थी। ये आशा की किरण है जिसका सभी को स्वागत करना चाहिये। आयेाग की संक्रियता ने जनता के मन में आने वाले सुखद भविष्य की आस जगा दी है। जहॉ लोगों के चुनाव प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए अनेकानेक सुझाव दिए। इससे परिलक्षित हो रहा है कि महिलाएँ अब लोकतन्त्र के इस पावन पर्व में अपनी भूमिका को लकर गम्भीर हुई है।

राजनीतिक जागरूकता

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जब किसी वर्ग को उसके अधिकार, स्वतंत्रता तथा अवसरों से वंचित रखा जाता है या उसे समाज में विद्यमान वे अवसर या स्थान प्राप्त नहीं होते है, जो उसे प्राप्त होने चाहिये उस वर्ग द्वारा उन अधिकारों, स्वतंत्रताओं, समानता व अवसरों की प्राप्ति हेतु आन्दोलन किया जाता है। इसी आधार पर पिछले कई दशक से देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास सम्बन्धी सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका अदा की है, परन्तु जिस अनुपात में उन्हें अपनी उपस्थिति इन क्षेत्रों में करनी थी। उतनी अनेक कारणों से सम्भव न हो सकी। इसी कारण महिला विकास व कल्याण महिला सशक्तिकरण जैसे वादे कागजों तक सीमित रहे है। इसी कारण वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएँ उचित उपस्थिति दर्ज कराने हेतु संघर्षरत है, जिसमें राजनीतिक सहभागिता आन्दोलन प्रमुख है।

बहुत शताब्दी से व्यक्ति इसी व्यवस्था में रहता रहा है कि कुछ लोग शासन करने के लिये तथा बाकी कुछ शासित होने के लिये है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को आंमड व बर्बा ने 'विषय संस्कृति' कहा है उस

व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान लेने के लिए तैयार था तथा गवर्नर का बालक बनने के लिये तैयार था और इसी तरह से पदक्रम जारी रहा।

समय के साथ बदलाव आया इसके साथ धीरे–धीरे व्यक्ति सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से सक्रिय होने लगे। ये जागरूकता धीरे–धीरे धार्मिकता, शिक्षा, कानून, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों में भी दिखायी देने लगी। वर्तमान समय में व्यक्ति अपनी राजनीतिक व्यवस्था उसके कार्यो तथा निर्णयों के प्रति जागरूक रहता है।

महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता

महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का स्तर क्षेत्र के आधार पर, समुदाय के आधार पर तय किया जाता है।

राजनीतिक चर्चाः– महिलाओं द्वारा राजनीति के विषय में अन्य जनों के साथ सगे सम्बन्धियों के साथ राजनीतिक चर्चा करना, पडोस की पुरूषों, महिलाओं के साथ राजनीतिक चर्चा करना तथा अपने सहयोगियों से राजनीतिक चर्चा को सम्मिलित किया जाता है।

राजनीतिक चेतनाः– राजनीतिक चेतना के अन्तर्गत राजनीतिक खबरों के लिये समाचार–पत्रों को पढना, राजनीतिक खबरों के लिये टेलीविजन देखना, चुनावों की जानकारी के लिये रेडियो, टेलीविजन का प्रयोग करना, को सम्मिलित किया जाता है।

राजनीतिक दलों की जानकारी में चुनाव लडने वालों की जानकारी रखना राजनीतिक दलों के कर्त्तव्यों की जानकारी रखना, राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं की जानकारी रखने को सम्मिलित किया जाता है। महिला राजनीतिक जागरूकता की आवश्यकताः– विस्तृत रूप में ''महिला समानता, कल्याण सुरक्षा, लिंग, न्याय, सामाजिक न्याय जैसे कितने ही नाम देने के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब विश्व की आधी जनसंख्या के रूप में जीवन जीती महिलाओं के समुचित विकास की बात की है कि महिलाओं को पुरूषों के सन्दर्भ में समान राजनीतिक रूप में सशक्त किये बिना अर्थात महिला जागरूकता या सशक्तिकरण के बिना महिला जाति का पुरूष अधिशासित समाज में समग्र, सम्पूर्ण, वांछित व इच्छित विकास संभव नही है। इस नवीन विकास दर्शन को महिला जागरूकता का नाम दिया गया है। इसी उद्धेश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सदस्य राष्ट्रों से यह अपेक्षा की कि महिलाओं को राजनीतिक सत्ता में अधिक सहभागिता का अवसर मिले ताकि वे राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व सामाजिक विकासोन्मुखी नीति निर्धारण व क्रियान्वयन में अपनी प्रभावी व सकारात्मक भूमिका निभा सके।''

जून 1992 मे एक स्वस्थ संसार बनाने के लिये पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसका निष्कर्ष यह निकाला गया कि महिलाओं में जागरूकता अत्यन्त आवश्यक है। सशक्तिकरण की परिभाषा की है। ''किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता। सम्मेलन में यह भी कहा गया कि 'असली लोकतन्त्र हो ही नहीं सकता, जब तक शासन और विकास कार्यक्रम दोनों में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी न हो। दूसरे शब्दों में महिला जागरूकता का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें महिलाओं को अपने आय को संगठित करने की क्षमता बढती है तथा सुदृढ होती है वो लिंग सामाजिक, आर्थिक नीति और परिवार में समाज व भूमिका के आधार पर निर्धारित संबधों को दर किनार करते हुये वे जाति वर्ग, धर्म आदि मुख्य भूमिका निभाते है। भारत में महिलाओं को 1937 में मताधिकार दे दिया था। तभी से महिलायें राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करती आ रही है तथा चुनावों में भाग ले रही है यद्यपि पुरूषों के मुकाबले इनका प्रतिशत काफी कम है। व्यवसायिक संघों में महिलाओं की सहभागिता उनकी जागरूकता को दिखाती है, हडताल आदि में उनको जागरूक देखा जा सकता है।'' चपको आन्दोलन (1972–1974) का उदाहरण हम देख सकते है। जब महिलाओं की शक्ति प्रदर्शन का प्रभाव पड़ता था। भारतीय राजनीति में यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि महिलाओं को बहुत सारे कारक जैसे

सामाजिक, आर्थिक, पारम्पारिक, राजनीतिक सहभागी होने के मार्ग में बाधाएँ है'' विभिन्न राजनीतिक दलों की जनसमयाओं के प्रति जागरूक होना विभिन्न राजनीतिक दलों की कार्यशैली भूमिका की जानकारी होना, विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिद्वन्द्वता की जानकारी होना चुनाव में जनमत तैयार करने में सक्रिय भाग लेना आदि।

राजनीतिक चेतना से अभिप्राय है कि समाज के सदस्य अपनी राजनीतिक व्यवस्था सरकार के रूप मत का अधिकार और इसका पूर्ण रूप से प्रयोग, राजनीतिक सहभागिता और इसकी कार्यप्रणाली तथा सवैधानिक कार्यों के प्रति सचेत रहे। राजनीतिक चेतना का अभिप्राय केवल राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी ही नहीं वरन् राजनीतिक व्यवस्था में दिन प्रति–दिन होने वाली राजनीतिक गतिविधियों और उसके प्रभावों की व्यावहारिक समझ है। राजनीतिक चेतना में व्यक्ति व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने की योग्यता, उसके ढांचे तथाा राजनीतिक प्रकिया को एंव राजनीतिक समस्याओं का निर्धारण और राजनीतिक व्यवस्था को समझने की योग्यता रखता है।

राजनीतिक भागीदारी

भागीदारी प्रत्येक व्यवस्था का, चाहे वह परम्परागत हो या अधिनायकवादी बडी हो या छोटी निर्धारक अंग होती है। राजनीतिक व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, परन्तु किसी न किसी को निर्णय लेने चाहिए तथा अन्य सम्बन्धित कार्य जैसे (पदाधिकारियों की नियुक्ति, उनके तबादले तथा पद से हटाने) समय समय पर करना चाहिये। तदापि भेद की एक महत्वपूर्ण रेखा इस रूप में खीची जा सकती है कि परम्परागत एवं राजतंत्रीय व्यवस्थाओं में भागीदारी कठोर रूप में किसी कुलीनवर्ग तथा उसके अभिकर्त्ताओं तक सीमित रहती है, जबकि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं ने सैद्धांतिक रूप में इन विशेषाधिकारी का साधारण व्यक्तियों को उपलब्ध अधिकारों में परिवर्तन कर दिया है। कारण यह है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को एकमात्र ऐसी व्यवस्था माना जाता है जो लोगो की इच्छा पर आधारित है भागीदारी का इस प्रकार का विस्तार ''आंशिक रूप में, सहमति, उत्तरदायित्व तथा राजनीतिक विरोध के सिद्धान्त को सार्थकता तथा बल प्रदान करने की इच्छा से उत्प्रेरित किया गया है। भागीदारी वह प्रमुख माध्यम है जिसके द्वारा प्रजातन्त्र में सहमति को मान्य अथवा अमान्य किया जाता है तथा शासकों को प्रजा के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है।''[11]

राजनीतिक भागीदारी के विषय का संबंध उन स्वैच्छिक गतिविधियों से है जिनके द्वारा किसी समाज के सदस्य अपने शासकों के चयन तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में भाग लेते है। ये गतिविधियों को वोट देने, सूचना प्राप्त करने, परिचर्चा करने, सभाओं में भाग लेने, राजनीतिक दलों को चन्दा देने, हड़ताल तथा प्रदर्शन आयोजित करने, विधायकों व अन्य अग्रगण्य व्यक्तियों के साथ सम्प्रेषण करने आदि जैसी है। तथापि राजनीतिक भागीदारी के सार्वधिक सक्रिय रूप है जैसे किसी दल की औपचारिक सदस्या, चुनाव प्रचार अथवा मतदाताओं का पंजीकरण करना, भाषण लिखना तथा भाषण देना, अभियानों में कार्य करना, तथा सार्वजनिक एवं दलीय पदों के लिए संघर्ष करना। विपरीत दिशा में प्रवृत्ति 'राजनीतिक उदासीनता' का विषय बनती है। जो ऐसी गतिविधियों से पूरे रहने अथवा उनके प्रति उदासीनता रखने के सूचक हैं। जिसमें सर्वोच्च स्तर पर विभिन्न प्रकार के पदों को धारण करना सम्मिलित है तथा जिसमें राजनीतिक भर्ती की प्रकिया समाहित है। यह सब निम्नलिखित घटको पर निर्भर है।[12]

सामाजिक परिवेशः– किसी देश में राजनीतिक भागीदारी की मात्रा का अध्ययन शिक्षा, व्यवसाय, आयु, जाति, लिंग, गतिशीलता अधिवास आदि के सदर्भ में किया जाना चाहिये। यही वे तत्व है जो किसी देश में राजनीतिक भागीदारी की मात्रा से सम्बद्ध होते है। इस प्रकार हम ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में अधिक व्यापक राजनीतिक भागीदारी पर ध्यान दे सकते है। जहॉ लोगों के शैक्षिक तथा व्यावसायिक स्तर बहुत ऊंचे है। राजनीतिक भागीदारी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधारों पर प्रतिबंध नहीं है और, सबसे बढ़कर राजनीतिक उदासीनता सहसा भड़काने वाले दंगों तथा अनायास हिंसा के प्रयोग की मात्रा बहुत कम है।[13]

मनोवैज्ञानिक परिवेशः भागीदारी इसलिए भी होती है कि इसमें उन लोगों को पुरस्कृत करने की क्षमता का गुण है जो इसमें लीन होते है। यहॉ महत्वपूर्ण चर है सत्ता की आवश्यकता, स्पर्द्धा, उपलब्धि, लगाव, संचय, धन, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्तर, मान्यता, भाव, तोड–जोड, सहानुभूति उत्तरदायित्व अथवा वस्तुतः प्रत्येक ऐसी आवश्यकता जो मानव व्यवहार को प्रभावित करती है। सामान्यता लोग शांतिप्रय होते है परन्तु वे हिंसा अथवा आन्दोलन की राजनीति के अन्य रूपों का आशय लेते है।[14]

राजनीतिक परिवेशः यहॉ हम अन्य तत्वों (जैसे आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के आकार, दूरी, तथा जटिलता, चुनावों की आवृत्ति, भरे जाने वाले पदो की संख्यिकी अवधि, राष्ट्रीय, प्रान्तीय क्षेत्रीय व स्थानीय प्रशासन के स्तर, राजनीतिक दलों तथा अन्य मध्यस्थ अभिकरणों की संख्या आदि) पर ध्यान दे सकते है। इन तत्वों को विपरीत क्रम में रखते हुए हम कह सकते है कि राजनीतिक भागीदारी अन्य घटकों जैसे– पंजीकरण की कष्टदायक प्रक्रियाओं, साक्षरता, परीक्षणों, मतदान करो, निवास की शर्ते, अनुपस्थितियों की दशा में मतदान के लिए अपर्याप्त प्रावधानों, मतदान के स्थानों की दुर्गमता तथा कुछ 'परिस्थति जनित तत्वों (जैसे–युद्ध विदेशी आक्रमण तथा देश या विदेश में गंभीर उपद्रवों जैसी बाधाओं) द्वारा भी प्रभावित होती है।[15] यह ठीक है कि लोग अपने राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेते है परन्तु भागीदारी का स्तर स्थान–स्थान पर, समय–समय पर लोगों के एक वर्ग से दुसरे वर्ग तक भिन्न होता है। हम राजनीतिक भागीदारी के निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डाल सकते है।

1. अत्यधिक सक्रिय स्तरः जो विद्यायी तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन होते है, और उनका औपचारिक राजनीतिक सत्ता के प्रयोग से सम्बन्धित होता है। अन्य शब्दों में व सत्ता के पुंज है। इस क्षेणी से सम्बन्ध रखने वाले तत्व ऐसे संगठनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जिनके माध्यम से समाज के सदस्य राजनीतिक व्यवस्था में विशेष प्रकार के विचारो, पदों स्थितियों यथार्थ समूह का संरक्षण करने अथवा उन्हें बढ़ावा देने को सलिप्त करने वाले कुछ राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते है।[16]
2. कभी–कभी सक्रिय स्तरः अपने देश की राजनीतिक प्रक्रिया में कभी–कभी और अनौपचारिक ढ़ग से भाग लेते है। यह संभव है कि लोग सार्वजनिक विषयों में अपने सामाजिक तथा आर्थिक हितों के अनुरूप भाग ले। उदाहरण के लिए यदि सरकार किसानों को हित के विरूद्ध कोई निर्णय लेते है वह राजनीति के अखाडे में कूद पडेगे, दूसरे लोग नहीं यह भी सत्य है कि मतदान राजनीतिक भागीदारी का सर्वमान्य रूप है, परन्तु समाज का काफी , बड़ा भाग 'मतदान की थकान' (जैसा स्विटजरलैण्ड में होता है।) अथवा आंतक उदासीनता, किसी सार्वजनिक ज्वलंत मुद्धे न होने आदि किसी अन्य कारण से भी मतदान में भाग लेने से भी बच सकते है।[17]
3. निष्क्रिय स्तरः राजनीतिक भागीदारी की निष्क्रियता का स्तर, उदासीनता, अलगाव, अनायास, आक्रोश तथा हिंसा के तत्वों को उद्घटित करता है। यह सभी देश की राजनीतिक प्रक्रिया में निर्लिप्तता अथवा बहुत से लोगों का भाग न लेना है कि गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी होने की अपेक्षा उन्हें उससे दूर रखने में अधिक संतोष मिले, अथवा यह भी हो सकता है कि अनायास उपद्रवों की घटनाओं से बहुत अधिक भयभीत कर दे। यह स्वयं है कि उपयुक्त घटक राजनीतिक भागीदारी के स्तरों में भेद का कारण बन सकते है, परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि भागीदारी की मात्रा में कुल मिलाकर, किसी निश्चित देश में तथा निश्चित युग में, काफी स्तर में स्थिर रहने की प्रवृत्ति होती है तथा प्रायः एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक भागीदारी की मात्रा में बहुत कम परिवर्तन होता है। इसमें विदित होता है कि व्यापक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह राजनीतिक एवं परिस्थित जन्य तत्वों की भूमिका पर कठोर अंकुश लगाते है।[18]
4. राजनीतिक भागीदारी के विरोधी तत्वः– राजनीतिक उदासीनता, सनकीपन, तिरस्कार अनायास आक्रोश और हिंसा। उदासीनता का अर्थ सामान्य या विशेष रूप मे व्यक्तियों, स्थितियों अथवा परिवेशों में रूचि अथवा उनके प्रति अलगाव से है। उदासीन व्यक्ति का सर्वाधिक अधिक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि वह राजनीतिक गतिविधियों में निष्क्रिय रहता है या उससे दूर रहता है। ऐसा तीन कारणों से हो सकता

है। प्रथम वह राजनीतिक गतिविधियों के अनुमोदित फल हो सकता है। व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि उसकी राजनीतिक गतिविधियों से उसके जीवन के लिए खतरा तो नहीं बना सकती है, या कह सकते है कि उसके मित्रों व समर्थकारों से अलग कर सकती है। दूसरे, व्यक्ति राजनीतिक गतिविधि को अर्थहीन समझ सकता है। तीसरे, व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि उसके सामने प्रस्तुत विषय बहुत आकर्षक नहीं है या संभव है कि यह वांछित परिणाम न दे सके आदि। संक्षेप में राजनीतिक गतिविधि की कल्पना व्यक्ति की व्यक्तिगत एंव भौतिक आवश्यकताओं के सर्वथा अनुपयुक्त होने के रूप में की जाती है।[19]

इसके राजनीति तथा प्रशासन के मामलों के अनुचित नियमों द्वारा संचालित होने के कारण उनके प्रति उदासीनता की भावना को अलगाव कहते है, किन्तु अनायास आक्रोश (फ्रांस के डरर्वीम द्वारा गढा एवं प्रचलित किया गया पदबंध) मूल्यों के पतन तथा दिशा हीनता की भावना का सूचक है जिससे व्यक्ति में प्रभावहीनता की भावना पैदा होती है तथा वह ऐसा अनुभव करता है कि ''सत्ता को उसकी परवाह नही'' जिसके परिणाम स्वरूप उसके लक्ष्यों का अवमूल्यन तथा कार्य करने की प्रेरणा का हवन होता है। ये चारों घटक देश की राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की अधिक असंलिप्तता या बहुत कम संलिप्तता, के सूचक है और यद्यपि उनके मौलिक निहितार्थी में भिन्नता खोजी जा सकती है, यह निश्चित है कि सभी के राजनीतिक लक्ष्यों के हेतु हिंसा उत्पन्न करने की सामान्य दिशा विद्यमान है।

उदासीनता, अलगाव, तिरस्कार तथा अनायास आक्रोश के घटक राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में नकारात्मक, अपेक्षाकृत विनाशकारी, भूमिका निभाते है। यह काफी खतरनाक है जैसे मैकेक्लोस्की ने निम्न तर्को से स्पष्ट किया है।

1. जो भाग लेने में असफल होते है। उनका सम्यक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। इस कारण शासक अपने व्यापकतम संभव मूल्यांकन से तथा इसमें भाग न लेने वालों ने अपने अनुभव से जो कुछ सीखा है उस लाभ से वंचित रह जाता है।
2. व्यापक उदासीनता उन संवेदनाओं को बढ़ा देती है कि शासक पर उनके लोगों का वर्चस्व रहेगा जो उत्तरदायित्वहीन, स्वार्थी तथा सिद्धान्तहीन है इसके विपरीत भागीदारी शासन करने वालों को स्मरण कराती है कि उन्हें अपने कर्त्तव्य का पालन करना तथा निर्वाचकों की सेवा करनी चाहिय। जहॉ राजनीतिक विरोध को गठित करना तथा बनाए रखना जो राजनीतिक सत्ता के दुरूप्रयोग एवं आंतक के विरूद्ध बचाव का अनिवार्य अस्त्र है, बहुत कठिन हो जाता है।
3. चाहे गैर भागीदारी के विचार इस समय भ्रमपूर्ण हो, उनके निर्णय की गुणवत्ता को सुधारने का उपाय भागीदारी के अनुभव से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। जो अपने सर्वोत्तम हितों के प्रति जागरूक होने तथा यह पुष्ट निर्णय लेने के लिए आवश्यक है कि व्यवस्था कैसे कार्य करती है एवं यह किन सिद्धान्तों व मान्यताओं को महत्त्व देती है।
4. उदासीनता किसी व्यवस्था की दुर्बलता का लक्षण एवं उसका कारण है। यह समाज के सभी सदस्यों को अपने शासकों में संलिप्त होने में असफलता अथवा उन्हें रूचि एवं वफादारी की प्रेरणा देने में अक्षमता की द्योतक है। इस प्रकार की असफलताएॅ प्रजातंत्र के लिये भयानक सिद्ध हो सकती हैं क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग राजनीति की धाराओं से बाहर रहते हैं, तो राजनीतिक वातावरण प्रबल रूप से प्रथकतावादी बन जाता है।

मैकक्लोसकी का यह विचार कुछ सीमा तक ठीक हो सकता है, परन्तु हम राबर्ट लेन तथा जे0 एल0 वाकर जैसे कुछ समाज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को भी देखना चाहिये जो राजनीतिक उदासीनता की दशा से उत्पन्न होने वाले खतरों से सहमत नहीं है। उनके निम्न तर्क है[20] :

1. जो लोग राजनीति में अनभिज्ञा एवं रूचिहीन है उनकी संलिप्तता को प्रोत्साहन करने से बहुत कम लाभ होता है किन्तु कुछ हानि भी हो सकती है। ऐसे लोगों में अपने तथा समाज के सर्वोत्तम हितों की गलत कल्पना करने की भावना बनी रहती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था (नागरिक स्वतन्त्रताओं, अनौपचारिकता या विविधता की सहनशीलता आदि) की आवश्यकताओं के विषय में उनकी समझदारी बहुत कम हो सकती हैं, तथा वे भ्रामक प्रचार एवं पतित परन्तु प्रसिद्ध नेताओं के आवाहन से भ्रमित हो सकते है। भागीदारी के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, वास्तव में, प्रजातांत्रिक शासन के लिए हानिकारक हो सकता है।
2. यह आग्रह करना कि सभी लोग भाग ले व्यक्तियों द्वारा राजनीति से सभी प्रभावित होते है, विवके को हटाकर द्या की भावना को स्थान देना है। केवल मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने से कुछ नहीं होता। राजनीतिक गतिविधियों से वांछित एवं आवंटित लक्ष्यों की और उन्मुख हो सकती है? मतदान किसी हिटलर, रूजवेल्ट या चर्चिल को चुनने के लिए हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र में किसी नागरिक को, यदि वह चाहे, इसके तिरस्कृत करने के अधिकार है। विवेकहीन भागीदारी से उदासीनता बेहतर है।
3. क्योंकि वांछनीय स्थितियों में भी निर्वाचकों का विशाल समूह वह जागरूकता कदापि नहीं रख सकता जिसकी मांग जटिल राजनीतिक निर्णय करते है, अतः राजनीति के कार्यो में उन सक्रिय अल्पसंख्यकों की ओर उन्मुख करना बेहतर होगा जो अपनी रूचि, हित, ज्ञान, तथा निर्णय के कारण यह प्रदर्शित कर चुके है कि वे प्रजातांत्रिक व्यवस्था के संचालन में सक्षम है।
4. व्यापक राजनीतिक गतिविधियों द्वारा कुछ संदर्भो में वाछित हो सकती है, परन्तु इससे हानि भी है। अत्याधिक सक्रिय निर्वाचकमडंल उन लोगो के मार्ग में बाधक हो सकता है जो ऐसे निर्णरू करके शासन करते हैं जिन्हें लेने में वे सर्वाधिक सक्षमह ै।

उक्त विषय पर भिन्न मत हो सकते है, परन्तु यह भी कहना उपयुक्त होगा कि राजनीतिक भागीदारी का विषय बन चुका है और अब विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन में मात्र अन्तर की मात्रा को चिन्हित किया जा सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि राजनीतिक क्षेत्र में अलप भागीदार का स्तर अवांछित है, तो यही स्थिति अधि–भागीदारी के विचार के विषय में भी है। ''यह आग्रह करना कि अधिक भागीदारी सदा श्रेष्ठ होती है, कुछ निश्चित परिस्थितियों में भागीदारी के व्यापक बनाने के संभव हानियों के प्रति आंखे मूदना है। भागीदारी को अंधपूजन या निषिद्ध वस्तु में परिवर्तित करने से कोई लाभ नहीं होगा।''[21]

प्रस्तुत शोध पत्र में प्रजातन्त्र शासन प्रणाली के आधार पर महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता व भागीदारी का अध्ययन करने का प्रयास है। इस उद्धेश्य से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ के जवाहर नगर का सर्वेक्षण किया है।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्धेश्य कामकाजी महिलाओं की राजनीति में सहभागिता और राजनीतिक जागरूकता के विषय में जानना है जब तक महिलायें अपने मताधिकार के प्रति जागरूक नही होगी वे राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिये दबाव कैसे बना पायेंगी। नारी सशक्तिकरण की बात भारत में अधिकतर सभी कर रहे है लेकिन किसी ने भी पर्याप्त मात्रा में महिलाओं को भागीदार नही बनाया है। समाज में महिलाएँ राजनीति के प्रति कितनी जागरूक है तथा क्या वे मतदान में भाग लेती है? इस उद्धेश्यों को ध्यान में रखते हुये यह शोध पत्र तैयार किया गया है इस सर्वेक्षण में 25 महिलाओं पर एक अनुसूची द्वारा सर्वेक्षण किया गया।

आयु के अनुसार

आयु	सदस्य	प्रतिशत
18–33	20	80

34–49	05	20
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में 18–33 आयु वर्ग की 80% ईकाईया है व 34–49 आयु वर्ग की 20% ईकाईया है। अतः स्पष्ट होता है कि अधिक ईकाईयॉ 18–33 आयु वर्ग वाली है।

व्यवसाय के अनुसार

व्यवसाय	सदस्य	प्रतिशत
पुलिस	04	16
अध्यापक	21	84
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में 16% महिला पुलिस, 84% अध्यापक की ईकाईया है अतः स्पष्ट होता है कि अध्यापिका अधिक है।

शिक्षा के अनुसार

शिक्षा	सदस्य	प्रतिशत
स्नातक	04	16
स्नातकोत्तर	08	32
स्नातकोत्तर से ऊपर	13	52
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में 16% स्नातक, 32 स्नातकोत्तर, व 52 स्नातकोत्तर से ऊपर की ईकाईयॉ शामिल है अतः स्पष्ट होता है कि स्नातकोत्तर से ऊपर वाली ईकाईया अधिक हैं। अर्थात सभी उच्चस्तरीय शिक्षित है।

पृष्ठभूमि के अनुसार

पृष्ठभूमि	सदस्य	प्रतिशत
ग्रामीण	01	4
शहरी	24	96
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में 04% महिला ग्रामीण, 96% शहरी की ईकाईया है अतः स्पष्ट होता है कि शहरी अधिक है।

लिंग के अनुसार

पृष्ठभूमि	सदस्य	प्रतिशत
स्त्री	25	100
पुरूष	–	–
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में समस्त ईकाईयॉ स्त्री लिंग है।

क्या आप जानते है कि प्रजातन्त्र क्या है?

उत्तर	सदस्य	प्रतिशत
हॉ	21	84
नही	04	16
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में 84% ईकाईया जानते है कि प्रजातन्त्र क्या है, 04% नहीं जानत। अतः स्पष्ट होता है कि जानने वाली ईकाईया अधिक है।

भारत में मतदान करने की आयु क्या है?

उत्तर	सदस्य	प्रतिशत
18 वर्ष	25	100
नही पता	—	—
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में समस्त ईकाईयों को पता है कि मतदान करने की आयु 18 वर्ष है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री कौन है?

उत्तर	सदस्य	प्रतिशत
अखिलेश यादव	25	100
नही पता	—	—
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में समस्त ईकाईयों को पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री अखिलेश यादव है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है?

उत्तर	सदस्य	प्रतिशत
राम नाईक	10	40
नही पता	15	60
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में 40% ईकाईया को पता है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी0 एल0 जोशी है, 60% ईकाईयों को नहीं पता अतः स्पष्ट होता है कि जानने वाली ईकाईया अधिक है।

हमारे प्रधानमन्त्र कौन है?

उत्तर	सदस्य	प्रतिशत
नरेन्द्र मोदी	25	100
नही पता	—	—
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में समस्त ईकाईयों को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी है।

नई पार्टी का नाम बताइये।

उत्तर	सदस्य	प्रतिशत
आम आदमी पार्टी	25	100
नही पता	—	—
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में समस्त ईकाईयों को पता है कि नई पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है।

आम आदमी पार्टी के संयोजक का नाम बताइये।

उत्तर	सदस्य	प्रतिशत
अरविन्द्र केजरीवाल	25	100
नही पता	—	—
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में समस्त ईकाईयों को पता है कि नई पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल है।

वर्तमान में कौन सी लोकसभा

उत्तर	सदस्य	प्रतिशत
16 वीं	10	40
नही पता	15	60
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में 40% ईकाईया को पता है कि 16वीं लोक सभा है, 60% ईकाईयों को नहीं पता अतः स्पष्ट होता है कि नही जानने वाली ईकाईया अधिक है।

क्या आपने कभी अपने मत का प्रयोग किया है?

उत्तर	सदस्य	प्रतिशत
हॉ	22	88
नही	03	12
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में 88% ईकाईयों ने अपने मत का प्रयोग किया है 12% ईकाईयों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अतः मत का प्रयोग करने वाली ईकाईयॉ अधिक है।

क्या आप ने वोट अपनी इच्छा से किया है?

उत्तर	सदस्य	प्रतिशत
हॉ	22	88
नही	03	12
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में 88% ईकाईयों ने अपने मत का प्रयोग अपनी इच्छा से किया है 12% ईकाईयों ने अपने मत का प्रयोग अपनी इच्छा से नहीं किया। अतः मत का प्रयोग अपनी इच्छा से करने वाली ईकाईयॉ अधिक है।

आपने वोट किस आधार पर किया?

	इकाईयॉ	प्रतिशत
जाति के आधार पर	—	—
धर्म के आधार पर	—	—
व्यक्ति के आधार पर	13	52
पार्टी के आधार पर	09	36
अन्य, किया ही नही	03	12
योग	25	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श में व्यक्ति के आधार पर 52% ईकाईयों ने, पार्टी के आधार पर 36% ईकाईयों, अन्य आध पर या किया ही नही 12% ईकाईयों ने वोट किया है। अतः न्यादर्श में व्यक्ति के आधार पर वोट करने वाली ईकाईयॉ अधिक है।

प्रस्तुत शोध पत्र में कामकाजी महिलाओं का अध्ययन किया है। जिसमें यह जानने का प्रयास किया है कि कामकाजी महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता व राजनीतिक जागरूकता कितनी है। सम्पूर्ण अध्ययन में चुनी गयी 25 ईकाईयों द्वारा दिये गये प्रश्नों के उत्तर के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि न्यादर्श की लगभग 84% ईकाईयॉ जानती है कि प्रजातन्त्र क्या है जबकि 16% नहीं जानती है। न्यादर्श की समस्त ईकाईयों ने मतदान करने की आयु के विषय में कहा कि आयु 18 वर्ष है। इसी प्रकार न्यादर्श की समस्त ईकाईयों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री अखिलेश यादव है। प्रधानमन्त्री के विषय में भी समस्त ईकाईयों ने उत्तर दिया नरेन्द्र मोदी है और नई पार्टी के विषय मे भी समस्त ईकाईयों ने उत्तर दिया कि नई पार्टी आम आदमी पार्टी है। इसके संयोजक के विषय में कहा कि अरविन्द केजरीवाल है। वर्तमान लोकसभी चुनाव के विषय में 40% ईकाईयों ने कहा 16वी0 लोक सभा के है। 60% ईकाईयों ने कहा पता नहीं व अपने मत के प्रयोग के विषय में 88% ने कहा हॉ प्रयोग किया है हा एवं 12% ईकाईयों ने कहा प्रयोग नही किया है। आपने वोट अपनी इच्छा से किया इस विषय पर 88% ईकाईयों ने कहा और 12% ईकाईयों ने कहा मतदान अभी तक नहीं किया अतः उपयुक्त निष्कर्ष से यह पता चलता है कि कामकाजी महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता व सहभागिता का प्रतिशत बढ़ा तो है किन्तु अभी भी बहुत सी महिलाएँ राजनीति के विषय में कम जानकारी रखती है तथा महिलाओं का एक वर्ग अभी भी अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढाने के लिये कुछ प्रावधान किये जाने चाहिये।

1. महिलाओं को उचित शिक्षा दी जाये।
2. महिलाओं के लिये व्यवसाय की उचित व्यवस्था की जानी चाहिये।
3. महिलाओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिये।
4. महिलाओं को देश में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी रखनी चाहिये।
5. महिलाओं को समाचार पत्र पढ़ना चाहिये
6. महिलाओं को टी0वी0 चैनल में न्यूज चैनल पर भी देखना चाहिये।

सन्दर्भ

1. *ज्ञानेन्द्र रावत् औरत : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2005 पृष्ठ संख्या 204।*
2. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 208।*
3. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 208।*

4. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 209।*
5. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 209।*
6. *श्रीमती पूजा शर्मा, महिलायें एवं मानवाधिकार, सागर पब्लिशर्स, जयपुर, 2005, पृष्ठ संख्या 125।*
7. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 127।*
8. *राम आहुजा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जवाहर नगर जयपुर, 2001, पृष्ठ संख्या 231।*
9. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 232।*
10. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 233 अ।*
11. *सीमा जौहरी, जे0 सी0 जौहरी, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त, स्टार्लिग पब्लिशर्स, 2001, पृष्ठ सं0 239।*
12. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 239।*
13. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 240।*
14. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 241।*
15. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 242।*
16. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 242।*
17. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 243।*
18. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 243।*
19. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 243।*
20. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 244।*
21. *उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 245।*

समाचार पत्र

1. *'अमर उजाला' तस्लीमा नससीन, औरत के हक में, 22 अप्रैल 2014*
2. *'दैनिक जागरण' मालिनी अवस्थी, महिलाओं की राजनीतिक स्थिति, 16 मई 2014*
3. *'अमर उजाला' महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता, 24 मार्च 2014*

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. एम0 ए0 अंसारी		'नारी चेतना और अपराध' कामनवेल्थ पब्लिशिंग हाऊस, 2013
2. एम0 के0 मिश्रा		'महिलाओं के कानूनी, धार्मिक एवं सामाजिक अधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, 2010
3. डॉ0 महावीर प्रसाद		'भारतीय राजनीति की प्रवृत्तिया, प्रकाशन कॉलेज बुक डिपो त्रिपोलिया, जयपुर
4. मानन्द खण्डेला		'सामाज और नारी' अरिहन्त पब्लिशिंग हाऊस, 2008
5. मोजम्मिल		'महिला और आधुनिकरण' कामनवेल्थ पब्लिशर्स, 1993
6. प्रमिला कपूर		'भारत में विवाह और कामकाजी महिलाऐं' राजकमल प्रकाशन, जहागीरपुर, 2010
7. प्रो0 सरिता वशिष्ठ		'महिला और कानून' कल्पना प्रकाशन जहॉगीरपुर 2010
8. राम आहूजा		'भारतीय सामाजिक व्यवस्था' प्रकाशन राव पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2001
9. राजबाला सिंह		'मानवाधिकार और महिलायें, अविष्कार पब्लिकशर्स डिस्ट्रीव्यूटर्स, 2006
10. रागिनी श्रीवास्तव		'आधुनिक समाज एवं महिलायें, ब्लू स्टार प्रकाश, 2011

11. संजीव कुमार शर्मा		*'भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, सम्पादक दिल्ली, 2010*
12. सीमा जौहरी, जे0सी0 जौहरी		*'आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त', लक्ष्मी प्रकाशन, आगरा, 2011*
13. सुधा रानी श्रीवास्तव		*'महिलाओं की वैधानिक स्थिति, सागर पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2013*
14. श्रीमती पूजा शर्मा		*'महिलायें एवं मानवाधिकार' सागर पब्लिशर्स, जयपुर, 2005*
15. ज्ञानेन्द्र रावत		*'औरतः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, विश्वभारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2005*